मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3022 उज्जैन, दिनांक 17 MAY 2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा नीमच जिले मे वन परिक्षेत्र मनासा मे 36 हे. वनभूमि पर गंगाबावड़ी तालाब निर्माण के संबध मे। (प्रकरण क्रं./FP/MP/IRRIG/32285/2018)

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच का पत्र क्रं./माचि/2022/2180 दिनांक 06–05–2022 ।

--00--

विषयांतर्गत प्रकरण मे निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा उनके संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा अन्तर्गत वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रं. 287, 290 एवं 293 मे गंगाबावड़ी तालाब निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 39.39 हे. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र भाग–I एवं II मे तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः इस कार्यालय से संबंधित निर्धारित प्रारूप भाग–III अपलोड किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/मा.चि./2022/ 3023 उज्जैन, दिनांक 17 MAY 2022

प्रतिलिपि :–

01– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ मे सूचनार्थ अग्रेषित।

02– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Agree with Inspection of DFO Neemuch.
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	**Yes**
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.

(Manoj Kumar Agrawal)
Additional Principal
Chief Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2022/ 30 उज्जैन, दिनांक 17/05/2022

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं./माचि/2020/91 दिनांक 23–12–2020 से जारी तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा निरस्त की जाकर, प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं./मा.चि/2022/2180 दिनांक 06–05–2022 से नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा के आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रं. 287, 290, 293 मे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा गंगाबावड़ी तालाब निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 39.39 हे. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव मे कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रं./10/अ–20(3)/2017–2018 दिनांक 12–09–2018 से आवंटित गैर वन भूमि मे 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राशि (रू. मे)
रतनगढ	सिंगौली	लुंवा	56	4.11	10730351
		प.ह.नं. 20 रेतपुरा	167	22.53	
		रा.नि. वृत झांतला	168	1.61	
योग :–				**28.25**	**10730351**

वनमण्ड़लाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल नीमच द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी नीमच द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 10730351/- (रु. एक करोड़ सात लाख तीस हजार तीन सौ इक्यावन रूपये मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2

दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।

4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।

5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/ 3019 उज्जैन, दिनांक 17 MAY 2022

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्र./मा.चि./2022/ 2180 दिनांक 06-05-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2022/ 31 उज्जैन, दिनांक 17/05/2022

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं./माचि/2020/92 दिनांक 23–12–2020 से जारी तकनीकी स्वीकृति एतद द्वारा निरस्त की जाकर, प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं./मा.चि/2022/2180 दिनांक 06–05–2022 से नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा के आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रं. 287, 290, 293 मे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा गंगाबावड़ी तालाब निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 39.39 हे. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव मे कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रं./10/अ–20(3)/2017–2018 दिनांक 12–09–2018 से आवंटित गैर वन भूमि मे 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राशि (रू. मे)
रतनगढ	सिंगौली	फुसरिया प.ह.नं. 4 रा.नि. वृत सिंगौली	1158	7.75	5207380

वनमण्ड़लाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल नीमच द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी नीमच द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 5207380/- (रु. बावन लाख सात हजार तीन सौ अस्सी रूपये मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।

4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।

5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/ 3020 उज्जैन, दिनांक 17 MAY 2022

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्र./मा.चि./2022/ 2180 दिनांक 06-05-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2022/ 32 उज्जैन, दिनांक 17/05/2022

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं. /मा.चि / 2022 / 2180 दिनांक 06–05–2022 से नीमच वनमण्डल के परिक्षेत्र मनासा के आरक्षित वनखण्ड कंजार्डा के कक्ष क्रं. 287, 290, 293 मे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा गंगाबावड़ी तालाब निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 39.39 हे. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव मे कलेक्टर जिला नीमच द्वारा आदेश क्रं. / 40 / अ–20(3) / 2021–2022 दिनांक 23–09–2021 से आवंटित गैर वन भूमि मे 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा	राशि (रू. मे)
मनासा	मनासा	हासपुर	715	1.230	4521034
			716	0.700	
			717	0.800	
			719	0.669	
			योग :–	**3.399**	**4521034**

वनमण्ड़लाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल नीमच द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी नीमच द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 4521034/- (रु. पैतालीस लाख इक्कीस हजार चौतीस रूपये मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।

4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।

5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गवर्मेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

22) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

23) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

24) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/ 3021 उज्जैन, दिनांक 17 MAY 2022

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्र./मा.चि./2022/ 2180 दिनांक 06-05-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मनोज कुमार अग्रवाल
(भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक